31.1.20 पत्रावली पेश। ...
तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त
हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया
वास्ते पत्रावली मे बहस हेतु नियत
दिनांक 7.2.20 को पेश हो।

7.2.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित उभयपक्ष
ने बहस करनी चाही, उभयपक्षो की बहस
सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु
नियत दिनांक 13.2.20 को पेश हो।

13.2.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, समय
अभाव के कारण प्रकरण मे आदेश नही लिखा
जा सका। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु
नियत दिनांक 20.2.20 को पेश हो।

20.2.20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, वकील
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251-A रा० का० अधिनियम के तहत
अपनी खातेदारी आराजी नं. 79 रकबा 01
बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम भैलियास पटवार
हल्का धुवाला तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
मे स्थित उक्त भूमि मे प्रार्थीगण के आने-
जाने हेतु रास्ता विपक्षी सं: 01 लगायत 06
की आराजी संख्या 78 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा
मे पूर्वी दिशा की मेड के सहारे-सहारे 16 फीट चौड़ा
का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब
कि वकील विपक्षीगण ने प्रार्थना पत्र के खण्डन

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मे प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।
मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया, तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपोर्ट का अध्ययन व मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार योग्य है अत:

: : आदेश : :

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी ग्राम मेलियास पटवार हल्का धुंवाला तहसील माण्डल जिला-भीलवाडा मे स्थित आराजी नं॰ 79 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एवं मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी सं॰ 01 लगायत 06 की आराजी नं॰ 78 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा भूमि मे से पूर्वी दिशा की मेड़ के सहारे-सहारे 12 फीट चौड़ाई का रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है, 12 फीट चौड़ा रास्ता के काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को भुगतान करे, अप्रार्थीगण की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे से कम की जावे। और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाते हुए लिखा जावे।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
... जिला भीलवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.04.30 12:38:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: